भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3390
गुरुवार, 12 मार्च, 2026/21 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

आरसीएस-उड़ान योजना के अंतर्गत आने वाले मार्ग

3390. श्री बी. वाई. राघवेन्द्रः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)-उड़ान के अंतर्गत जिन एयरलाइन ऑपरेटरों को उड़ान सेवाएं शुरू करने के लिए मार्ग प्रदान किए गए हैं, उन्हें समय-सीमा और प्रचालनिक प्रतिबद्धताओं को निर्धारित करने वाले औपचारिक समझौते करने होते हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उड़ान योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक कर्नाटक सहित राज्य-वार ऐसे कुल कितने मार्ग प्रदान किए गए हैं जिन पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रचालन शुरू नहीं हुआ है;

(ग) एयरलाइन प्रचालकों द्वारा प्रचालनात्मक प्रतिबद्धताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी), व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) शर्तों अथवा अन्य वित्तीय प्रतिभूतियों सहित योजना ढांचे में कौन-कौन से सुरक्षोपाय शामिल किए गए हैं;

(घ) क्या प्रचालन शुरू न होने अथवा प्रचालन में लंबे समय तक विलंब के मामलों में भी ऐसे सुरक्षा उपाय किए गए हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे कितने मामले सामने आए हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने निगरानी और कार्यान्वयन तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए कोई समीक्षा की है ताकि क्षेत्रीय संपर्क और संतुलित विमानन विकास के उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): क्षेत्रीय संपर्क योजना के प्रावधानों के अधीन, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित एयरलाइन प्रचालकों (एसएओ) को प्रदत्त मार्गों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के साथ चयनित एयरलाइन प्रचालक समझौते (एसएओए) पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित है। समझौते में परिचालन शुरू करने की समयसीमा, न्यूनतम साप्ताहिक उड़ान फ़्रीक्वेंसी, आरसीएस सीटों के लिए सीमित हवाई किराए का पालन करने जैसे विभिन्न दायित्व निर्धारित किए गए हैं। एसएओ को समझौते में विनिर्दिष्ट निर्धारित समय- सीमा के अंदर अवार्ड किए गए मार्गों को प्रचालनरत करना अपेक्षित है।

(ख): क्षेत्रीय संपर्क योजना शुरू होने से अब तक, 925 आरसीएस मार्ग अवार्ड किए गए, जिनमें से 663 प्रचालनरत किए जा चुके हैं।

कर्नाटक राज्य में, 128 वैध आरसीएस मार्ग अवार्ड किए गए हैं, जिनमें से 118 आरसीएस मार्ग प्रचालनरत किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ): चयनित एयरलाइन प्रचालक द्वारा जमा की गई निष्पादन बैंक गारंटी, चयनित एयरलाइन प्रचालक समझौते की शर्तों और निबंधनों के अनुसार, आंशिक या पूरी तरह से ज़ब्त की जा सकेगी।

इस तरह ज़ब्त होने पर, चयनित एयरलाइन प्रचालक को विनिर्दिष्ट समय सीमा के अंदर निष्पादन गारंटी फिर से भरनी होगी, ऐसा न करने पर कार्यान्वयन ऐजेंसी चयनित एयरलाइन प्रचालक समझौते को समाप्त कर सकती है और एयरलाइन प्रचालक समझौते और योजना के प्रावधानों के अनुसार आगे कार्रवाई कर सकती है।

(ङ) : बोली के विभिन्न चरणों के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर, क्षेत्रीय सम्पर्कता को मज़बूत करने और देश में विमानन क्षेत्र की संतुलित वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर योजना संबंधी दिशानिर्देशों, मॉनिटरिंग तंत्रों और कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में उपयुक्त आशोधन और सुधार किए गए हैं।

******